Title : Need to empower the Backward Class Commission and to set up a Parliamentary Standing Committee for the welfare of the backward classes in the country.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, आज ही पिछड़ा वर्ग आयोग का डेलीगेशन माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने गया था। प्रश्न यह है कि जब सभी वर्गों के लिए आयोग अलग-अलग बने हुए हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और अन्य वर्गों के लिए मानवाधिकार आयोग हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग को वे सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो अन्य आयोगों को प्राप्त हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग केवल एक सरकारी विभाग जैसे है। पिछड़े वर्ग में और किस-किस को शामिल किया जाये, इसके अलावा उनका कोई अधिकार नहीं है। आप भी जानती हैं कि बिहार में अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग में बहुत से ऐसे समुदाय हैं, जिनकी संख्या कम है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक शोषण उन पर होते हैं। वे अनुसूचित जाति, जनजाति से भी ज्यादा पीड़ा सहते हैं, अपमान को झेलते हैं। जिस तरह अन्य आयोगों को अधिकार प्राप्त हैं कि वे उसमें नोटिस लें, उसकी जांच करें, उसी तरह पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण है, लेकिन हमारे भी बैकलॉग रहते हैं। हमारे भी आदमी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट कर जाते हैं। उनके 27-27 लोग दौड़ते रह गये, क्योंकि उनको कहा गया,वे मेरिट लिस्ट में थे, फिर भी उनको कहा गया कि आप पिछड़ा वर्ग में है, पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा नहीं है। इस अन्याय को रोका जाए और उस आयोग को भी अन्य आयोगों के समतुल्य दर्जा देकर भारत सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रही है उसमें एक नया स्तम्भ स्थापित करे।